

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबलों को "झारखंड राज्य" में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1937 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	लेबुलों का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	रेड रोमानोव सुपिरियर बोदका	750	2176/11-12	2176/12-13
2	तदैव	375	2177/11-12	2177/12-13
3	तदैव	180	2178/11-12	2178/12-13
4	सिग्नेचर रेयर एज्ड व्हिस्की	750	2103/11-12	2103/12-13
5	तदैव	375	2104/11-12	2104/12-13
6	तदैव	180	2105/11-12	2105/12-13
7	मैकडोवेल्स सिग्नेचर प्रीमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2499/11-12	2499/12-13
8	तदैव	375	N 2500/11-12	2500/12-13
9	तदैव	180	N 2501/11-12	2501/12-13
10	एंटीक्यूटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमीयम व्हिस्की	750	2106/11-12	2106/12-13
11	तदैव	375	2107/11-12	2107/12-13
12	तदैव	180	2108/11-12	2108/12-13
13	एंटीक्यूटी रेयर प्रीमीयम व्हिस्की	750	2109/11-12	2109/12-13
14	तदैव	375	2110/11-12	2110/12-13
15	तदैव	180	2111/11-12	2111/12-13
16	रॉयल चैलेंज व्हिस्की	750	2155/11-12	2155/12-13
17	तदैव	375	2156/11-12	2156/12-13
18	तदैव	180	2157/11-12	2157/12-13
19	प्रीमीयम रोमानोव बोदका औरेंज थील	750	2325/11-12	2325/12-13
20	तदैव	375	2326/11-12	2326/12-13
21	तदैव	180	2327/11-12	2327/12-13

22	प्रिमीयम रोमानोभ बोदका एपल थील	750	2328/11-12	2328/12-13
23	तदैव	375	2329/11-12	2329/12-13
24	तदैव	180	2330/11-12	2330/12-13
25	व्हाईट मिसचीफ फलावर्ड बोदका मैंगो+मिन्ट	750	N 2511/11-12	2511/12-13
26	तदैव	375	N 2512/11-12	2512/12-13
27	तदैव	180	N 2513/11-12	2513/12-13

28	व्हाइट मिसचीफ फलावर्ड वोदका ग्रीन एपल+सिनामोन	750	N 2514/11-12	2514/12-13
29	तदैव	375	N 2515/11-12	2515/12-13
30	तदैव	180	N 2516/11-12	2516/12-13
31	व्हाइट मिसचीफ फलावर्ड वोदका स्ट्राबवेरी+जिनसीग	750	N 2517/11-12	2517/12-13
32	तदैव	375	N 2518/11-12	2518/12-13
33	तदैव	180	N 2519/11-12	2519/12-13

शर्तें :-

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक **31.03.2013** तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष **2012-2013** के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबधन/नवीकरण राख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

आपांक:- 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011

2015

प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/आयुक्त उत्पाद, झारखंड/
प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पत्रांक: 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011 2014

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबुलों को "बिहार राज्य" में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1914 दिनांक 21.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	मैकडोवेल्स रिजर्व व्हिस्की	750	2039/11-12	2039/12-13
2	तदैव	375	2040/11-12	2040/12-13
3	तदैव	180	2041/11-12	2041/12-13
4	ओल्ड टैभर्न सुपीरियर व्हिस्की	750	N 2548/11-12	2548/12-13
5	तदैव	375	N 2549/11-12	2549/12-13
6	तदैव	180	N 2550/11-12	2550/12-13
7	सिगनेचर रेयर एजड व्हिस्की	750	1928/11-12	1928/12-13
8	तदैव	375	1929/11-12	1929/12-13
9	तदैव	180	1930/11-12	1930/12-13
10	मैकडोवेल्स सिगनेचर प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2471/11-12	2471/12-13
11	तदैव	375	N 2472/11-12	2472/12-13
12	तदैव	180	N 2473/11-12	2473/12-13
13	मैकडोवेल्स नं0-1 केरिबा प्रिमीयम गोल्ड रम	750	N 2542/11-12	2542/12-13
14	तदैव	375	N 2543/11-12	2543/12-13
15	तदैव	180	N 2544/11-12	2544/12-13
16	एटीक्यूटी ब्लू अल्ट्रा प्रि0 व्हिस्की	750	1934/11-12	1934/12-13
17	तदैव	375	1935/11-12	1935/12-13
18	तदैव	180	1936/11-12	1936/12-13
19	एटीक्यूटी रेयर प्रि0 व्हिस्की	750	1925/11-12	1925/12-13
20	तदैव	375	1926/11-12	1926/12-13

21	तदैव	180	1927/11-12	1927/12-13
22	हनी बी ब्रांडी	750	2209/11-12	2209/12-13
23	तदैव	375	2210/11-12	2210/12-13
24	तदैव	180	2211/11-12	2211/12-13
25	मैकडोवेल्स नं0-1 प्लेटिनम क्लासिक विस्की	750	2389/11-12	2389/12-13
26	तदैव	375	2390/11-12	2390/12-13
27	तदैव	180	2391/11-12	2391/12-13
28	व्हाइट मिसचीफ फ्लेबर्ड बोदका Mango+Mint	750	N 2475/11-12	2475/12-13
29	तदैव	375	N 2476/11-12	2476/12-13
30	तदैव	180	N 2477/11-12	2477/12-13

Handwritten signature and date: 17/4/20

31	व्हाइट मिसचीफ फ्लेबर्ड बोदका Strawberry+Ginseng	750	N 2478/11-12	2478/12-13
32	तदैव	375	N 2479/11-12	2479/12-13
33	तदैव	180	N 2480/11-12	2480/12-13
34	व्हाइट मिसचीफ फ्लेबर्ड बोदका Green Apple+Cinnamon	750	N 2481/11-12	2481/12-13
35	तदैव	375	N 2482/11-12	2482/12-13
36	तदैव	180	N 2483/11-12	2483/12-13
37	रिगल रोमोनोव बोदका एपल श्रील	750	N 2554/11-12	2554/12-13
38	तदैव	375	N 2555/11-12	2555/12-13
39	तदैव	180	N 2556/11-12	2556/12-13
40	रिगल रोमोनोव बोदका औरेंज श्रील	750	N 2557/11-12	2557/12-13
41	तदैव	375	N 2558/11-12	2558/12-13
42	तदैव	180	N 2559/11-12	2559/12-13

शर्तें :-

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक **31.03.2013** तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष **2012-2013** के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

आपांक: 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011

2014

पटना, दिनांक: 12-11-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी0 एस0 बी0 सी0 एल0, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12.4.12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबलों को उड़ीसा राज्य के सैन्य बलों में आपूर्ति हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1941 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	सिगनेचर रेयर एज्ड व्हिस्की	750	318/11-12	318/12-13
2	एटीक्यूटी ब्लू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	750	353/11-12	353/12-13
3	एटीक्यूटी रेयर प्रिमीयम व्हिस्की	750	352/11-12	352/12-13
4	रॉयल चैलेंज व्हिस्की	750	368/11-12	368/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011 १००९ पटना, दिनांक:- 12.4.12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंधक, उड़ीसा स्टेट ब्रिवरेज कॉ0 लि0, उड़ीसा/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबलों को त्रिपुरा राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1940 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	लेबुलों का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	मैकडोवेल्स सिगनेचर प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2590/11-12	2590/12-13
2	तदैव	375	N 2591/11-12	2591/12-13
3	तदैव	180	N 2592/11-12	2592/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-ले0नि0-05/2011 2010

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/ आयुक्त उत्पाद, त्रिपुरा/
प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के लेबलों को "मेघालय राज्य" में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1935 दिनांक 26.03.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	सिग्नेचर रेयर एज्ड व्हिस्की	750	2033/11-12	2033/12-13
2	तदैव	375	2034/11-12	2034/12-13
3	तदैव	180	2035/11-12	2035/12-13
4	मैकडोवेल्स सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2493/11-12	2493/12-13
5	तदैव	375	N2494/11-12	2494/12-13
6	तदैव	180	N 2495/11-12	2495/12-13
7	एंटीक्यूटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमियम व्हिस्की	750	2027/11-12	2027/12-13
8	तदैव	375	2028/11-12	2028/12-13
9	तदैव	180	2029/11-12	2029/12-13
10	एंटीक्यूटी रेयर प्रीमियम व्हिस्की	750	2030/11-12	2030/12-13
11	तदैव	375	2031/11-12	2031/12-13
12	तदैव	180	2032/11-12	2032/12-13
13	रॉयल चैलेंज व्हिस्की	750	2161/11-12	2161/12-13
14	तदैव	375	2162/11-12	2162/12-13
15	तदैव	180	2163/11-12	2163/12-13
16	मैकडोवेल्स रिजर्व्स व्हिस्की	750	2172/11-12	2172/12-13
17	तदैव	375	2173/11-12	2173/12-13
18	तदैव	180	2174/11-12	2174/12-13
19	मैकडोवेल्स नं०1 प्लेटिनम सलेक्ट व्हिस्की	750	2331/11-12	2331/12-13
20	तदैव	375	2332/11-12	2332/12-13
21	तदैव	180	2333/11-12	2333/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजर्म,

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140 ले० नि०-05/2011

2011

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना/आबकारी आयुक्त, मेघालय शिलोंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के लेबुलों को बिहार राज्य के लिए महाराष्ट्र (युनाईटेड स्पीट्स लि०) से आयातित ब्राण्ड के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1914 दिनांक 21.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	ब्लैक डॉग डिलक्स व्हिस्की 12 ऐयर्स स्कोच व्हिस्की	750	1970/11-12	1970/12-13
2	ब्लैक डॉग डिलक्स एजड 12 ऐयर्स स्कोच व्हिस्की	375	2278/11-12	2278/12-13
3	तदैव	180	2279/11-12	2279/12-13
4	ब्लैक डॉग सेन्टेनरी एजड एण्ड रेयर स्कोच व्हिस्की	750	N 2502/11-12	2502/12-13
5	तदैव	375	N 2503/11-12	2503/12-13
6	तदैव	180	N 2504/11-12	2504/12-13
7	हवाईट एण्ड मैके ग्लासगो स्पेशल ब्लेंडेड स्कोच व्हिस्की	750	2175/11-12	2175/12-13
8	तदैव	375	2252/11-12	2252/12-13
9	तदैव	180	2253/11-12	2253/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

12/4/12

विश्वासभाजन

12/4/12

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबलों को अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1938 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	लेबुलों का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	मैकडोवेल्स सिगनेचर प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2587/11-12	2587/12-13
2	तद्वैव	375	N 2588/11-12	2588/12-13
3	तद्वैव	180	N 2589/11-12	2589/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- 3/एफ2-140-ले0नि0-05/2011 2016 पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/आयुक्त उत्पाद, अरुणाचल प्रदेश/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक:

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक:—.....

विषय:— सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के लेबलों को आसाम राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1939 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र०	लेबुलों का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	मैक्डोवेल्लस सिगनेचर प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2529/11-12	2529/12-13
2	तदैव	375	N 2530/11-12	2530/12-13
3	तदैव	180	N 2531/11-12	2531/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 3/एफ2-140-ले०नि०-05/2011 2509 पटना, दिनांक:— 12-4-12
प्रतिलिपि:—सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/आयुक्त उत्पाद, आसाम (गोवाहाटी)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि०, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पत्रांक: 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011 2013

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,
सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना।

पटना, दिनांक: 12-11-12

विषय:—सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के लेबलों को "उड़ीसा राज्य" में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1936 दिनांक 26.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड स्प्रिट्स लि0, हाथिदह, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से अधोलिखित शर्तों के साथ नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	सिग्नेचर रेयर एज्ड व्हिस्की	750	1909/11-12	1909/12-13
2	तदैव	375	1910/11-12	1910/12-13
3	तदैव	180	1911/11-12	1911/12-13
4	मैकडोवेल्लस सिग्नेचर प्रीमीयर ग्रेन व्हिस्की	750	N 2496/11-12	2496/12-13
5	तदैव	375	N 2497/11-12	2497/12-13
6	तदैव	180	N 2498/11-12	2498/12-13
7	एटीक्यूटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमीयम व्हिस्की	750	1900/11-12	1900/12-13
8	तदैव	375	1901/11-12	1901/12-13
9	तदैव	180	1902/11-12	1902/12-13
10	एटीक्यूटी रेयर प्रीमीयम व्हिस्की	750	1903/11-12	1903/12-13
11	तदैव	375	1904/11-12	1904/12-13
12	तदैव	180	1905/11-12	1905/12-13
13	रॉयल चैलेंज व्हिस्की	750	2158/11-12	2158/12-13
14	तदैव	375	2159/11-12	2159/12-13
15	तदैव	180	2160/11-12	2160/12-13

16	व्हाईट मिसचीफ फलावर्ड वोदका मैंगो+मिन्ट	750	N 2520/11-12	2520/12-13
17	तदैव	375	N 2521/11-12	2521/12-13
18	तदैव	180	N 2522/11-12	2522/12-13
19	व्हाईट मिसचीफ फलावर्ड वोदका ग्रीन एपल+सिनामोन	750	N 2523/11-12	2523/12-13
20	तदैव	375	N 2524/11-12	2524/12-13
21	तदैव	180	N 2525/11-12	2525/12-13
22	व्हाईट मिसचीफ फलावर्ड वोदका स्ट्राबवेरी+जिनसींग	750	N 2526/11-12	2526/12-13
23	तदैव	375	N 2527/11-12	2527/12-13
24	तदैव	180	N 2528/11-12	2528/12-13

शर्तें :-

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140 ले0 नि0-05/2011 2013 पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंधक, उड़ीसा स्टेट ब्रिवरेज कौ0 लि0, उड़ीसा/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड स्पीट्स लि0, हाथिदह, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।